

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामील में जारी  
हुए

पट्टा..... बनाम..... जगदीश.....

मु.नं.- 44/23

किस्म - T-I

13/6/25 अग्रि भाषकी इस न्यायिक कार्य स्वागन  
हीने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली  
पूर्वानुसार दिनांक 04/7/25 को पेश हो। (शु)

04/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय वडा  
अल्पित / अधार्थ सं. 0299 की विधिपत्र रूप से  
तमील हो चुकी हैं। तमील उपरान्त पर्याप्त समझ  
के उपरान्त भी इस्ते हारा जवाब प्रपत्र 103  
पेश नहीं किया गया है। कल अधार्थ सं. 0299  
के विरुद्ध एडवोकेट कार्यवाही की जाकर जवाब  
कवलद भेद विधि जाता है। पत्रावली वालते तमीली  
अधार्थ सं. 05 लगा 08 दिनांक 07. 0. 25 को  
पेश हो। रु

उपखण्ड अधिकारी  
मंडावर (दौसा)

07/8/25 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में  
व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। -  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/9/25 को पेश हो। (शु)

16.9.25 पत्रावली पेश हुई। वकील अधार्थ अल्पित /  
अधार्थ वकील ने अधार्थ सं. 05 लगा 08 के तलावाग  
समझ पेश नहीं किया। तलावाग समझ अनिवार्य रूप  
से पेश हो। पत्रावली वालते तमीली अधार्थ सं. 05  
लगा 08 दिनांक 28.10.25 को पेश हो। रु

उपखण्ड अधिकारी  
मंडावर (दौसा)

28.10.25 पत्रावली पेश हुई। परसकारान को  
कार-2 भाषाज विवगई गई। वकील अधार्थ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख  
हुक्म

..... बनाम.....  
यूपू जगदीश  
 मु.नं.- 44/23 किस्म - D.O.

अनुपस्थित / अप्रार्थक/अकीला उपस्थित / यत्रावली  
 लम्बे समय से तलवी में लौकेत हे। प्रार्थक के  
 वार-2 निर्देशों के बावजूद भी प्रार्थक द्वारा अप्रार्थक  
 स. 05 लगा 08 के तलवाना सम्मेलन पेश नहीं  
 किये और निर्देशों की अवहेलना की गई। इसके  
 स्पष्ट है कि प्रार्थक यत्रावली में कोई भी कार्यवाही  
 के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए यत्रावली प्रार्थक  
 को अदम हाजरी व अदम चेंबरी में रकारिज की जाती  
 है। यत्रावली फेल्ला शुमार हेकर काठिल इफतर हो।